प्रेषक,

विनोद कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 24 जनवरी, 2025

विषयः- केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी गऊलाल उर्फ बेला पुत्र श्री बिन्दा, निवासी जनपद-बांदा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-30216/प्रोबे0-5-दया0 बैठक दिनांक 16.09.2024, दिनांक 07.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार गऊलाल उर्फ बेला पुत्र श्री बिन्दा, गुजैनी, थाना-मर्का, जनपद-बांदा का निवासी है। खेत में बन्धी डालने के विवाद को लेकर दिनांक 18.09.1982 को 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी व बन्दूक से गोली मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-74/1983 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302, 302/149, 325/149, 323/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, बॉदा के आदेश दिनांक 02.02.1984 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 14.07.2017 द्वारा निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 12.02.2024 तक 07 वर्ष 10 माह 24 दिन की अपरिहार सजा तथा 09 वर्ष 06 माह 09 दिन की सपरिहार सजा की सजा काटी गयी है। दयायाचिका समिति की आख्या में उल्लिखित किया गया है कि बन्दी द्वारा आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 12.02.2024 तक अपरिहार 07 वर्ष, 10 माह, 24 दिन तथा सपरिहार 09 वर्ष, 06 माह 09 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष बन्दी की समयपूर्व रिहाई होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने एवं कारित अपराध की प्रकृति (02 व्यक्तियों की हत्या) के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी गऊलाल उर्फ बेला (बन्दी संख्या-652/2022) पुत्र श्री बिन्दा, निवासी जनपद-बांदा की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
विनोद कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-25/2025/1795(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बांदा।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, लखनऊ को क्रिमिनल मिस रिट पिटीशन नं0-6988/2024 गऊलाल उर्फ बेला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में पारित आदेश दिनांक 19.09.2024 के सन्दर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।